‘भाजपा के साथ आतंकियों के संबंध होना किस ओर इशारा करते हैं’

पूरे देश में 22 स्थानों पर संवाददाता सम्मेलन कर कांग्रेस नेताओं ने भाजपा से सवाल किया

जयपुर (का.प्र.)। उदयपुर, जम्मू कश्मीर सहित महाराष्ट्र की घटना में शामिल आरोपियों के भाजपा से संबंधों को लेकर कांग्रेस ने देशभर में भाजपा के खिलाफ अभियान छेड़ा है। इसी संदर्भ में उदयपुर की घटना को अंजाम देने वाले आतंकियों की राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के साथ तस्वीरें आई और भाजपा के साथ आतंकी रियाज का संबंध दिखाई दिया तो कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने जयपुर में मीडिया से बात करते हुए भाजपा पर कई सवाल दागे।

पूरे देश में 22 स्थानों पर संवाददाता सम्मेलन करते हुए कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा से सवाल किया कि आखिरकार भाजपा के साथ आतंकियों के संबंध होना किस ओर इशारा करते हैं। उदयपुर के बाद जम्मू कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी तालिब हुसैन शाह के भाजपा पदाधिकारी होने की बात सामने आई थी, तो कांग्रेस ने भाजपा को सीधे तौर पर आतंकियों के साथ रिश्ते रखने वाली पार्टी करार देना शुरू कर दिया। उदयपुर और जम्मू-कश्मीर ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अमरावती में केमिस्ट उमेश कोल्हे कि हत्या के कथित मास्टरमाइंड इरफान खान का भी निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा से संबंध का दावा किया जा रहा है, इसे लेकर भी कांग्रेस ने भाजपा पर सवाल दागे हैं।

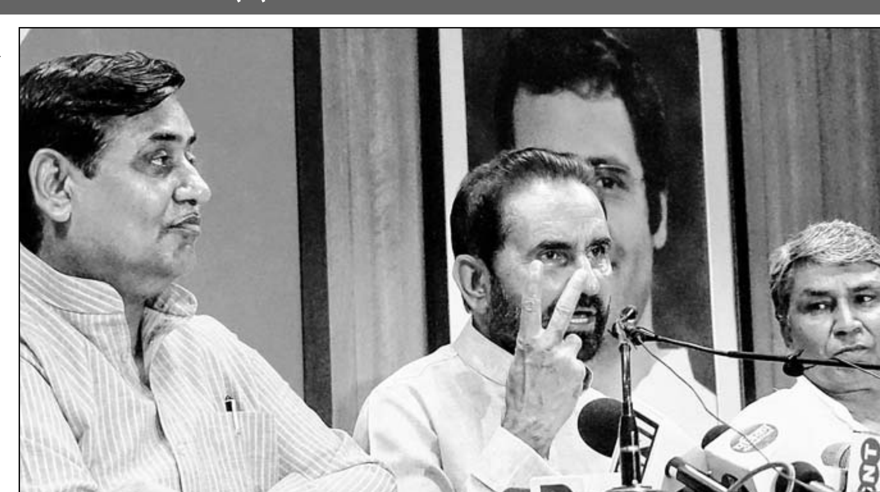

प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल और प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया।

जयपुर में शक्ति सिंह गोहिल ने आरोप लगाते हुए कहा कि इन सभी मामलों को देख कर लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाजपा जानबूझकर अपने लोगों से ही यह काम करवाती है। इसकी जांच भी एनआईए को करनी चाहिए। गोहिल ने इन घटनाओं की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जब भी भाजपा संकट में आती है। मुद्दे उठते हैं, वह चाहे देश में बढ़ती महंगाई हो, अग्निपथ में युवाओं का विरोध हो, या फिर किसान आंदोलन के जरिए किसान सड़कों पर हों, उसी समय ऐसी घटनाएं होती हैं। गोहिल ने कहा कि क्या कारण है कि जहां भाजपा की सरकार होती है, वहां

- जयपुर में कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल का आरोप, ‘‘कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाजपा जानबूझकर अपने लोगों से ही यह काम करवाती है’’

ऐसी कोई घटना होती है, तो उसकी जांच स्थानीय पुलिस करती है, जबकि जहां भाजपा शासन में नहीं होती वहां जांच एनआईए को सौंप दी जाती है। इसी के साथ गोहिल ने शनिवार को राजस्थान के दौरे पर आए देश के गृहमंत्री अमित शाह पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब भी किसी आतंकी का कोई विदेशी कनेक्शन होता है, तो इसमें सेंट्रल आईबी ध्यान देती है। यह काम स्टेट का नहीं होता, लेकिन आज जयपुर आए अमित शाह यह जवाब दें कि सेंट्रल आईबी क्या केवल नेताओं की खुफिया जानकारी पता करने और भाजपा में सच बोलने वालों के पीछे ही लगी रहेगी या फिर भाजपा स्ट्रेटजी के तौर पर ऐसी घटनाएं होने दे रही है, वहां जांच एनआईए को सौंपी जाती हैं।

वर्ष 2023 में होंगे डेल्फिक नेशनल गेम्स

इंडियन डेल्फिक काउंसिल एण्ड इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल का चेप्टर डेलिफक काउंसिल ऑफ राजस्थान का एक वर्ष पूरा होने पर इंटरनेशनल वेबिनार का शनिवार को आयोजन किया गया। इसमें आईएएस शांतनु अग्रहारी व श्रेया गुहा मौजूद रहीं।

जयपुर, (का.सं.)। इंडियन डेल्फिक काउंसिल एण्ड इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल का चेप्टर डेलिफक काउंसिल ऑफ राजस्थान का एक वर्ष पूरा होने पर इंटरनेशनल वेबिनार का शनिवार को आयोजन किया गया। इंडियन डेल्फिक काउंसिल के सचिव आईएएस शांतनु अग्रहारी ने बताया कि वर्ष, 2023 में डेल्फिक नेशनल गेम्स का आयोजन किया जाएगा तथा जनवरी, 2023 से डेल्फिक के स्टेट गेम्स की शुरूआत होगी। वेबिनार में वक्ताओं ने डेल्फिक की गतिविधियों को बढ़ाने पर चर्चा की।

डेल्फिक कौंसिल ऑफ राजस्थान की अध्यक्ष आईएएस श्रेया गुहा ने बताया कि कौंसिल द्वारा डेल्फिक डायलॉग की सीरीज के तहत ऑनलाइन इंटरनेशनल वेबिनार का आयोजन किया गया। इंटरनेशनल डेल्फिक कौंसिल के अध्यक्ष जे. क्रिस्चियन बी क्रिश्च ने टेक्नोलॉजी

- प्रत्येक राज्य में जनवरी, 2023 से डेल्फिक स्टेट गेम्स की शुरूआत होगी
- टेक्नोलॉजी और रिसर्च के जरिए डेल्फिक मूवमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा

और रिसर्च के जरिए डेल्फिक मूवमेंट को बढ़ावा देने का आव्हान करते हुए राजस्थान डेल्फिक काउंसिल की ओर से पिछले एक वर्ष में की गई गतिविधियों के लिए श्रेया गुहा, रमेश प्रसन्ना, जितेंद्र कुमार सोनी सहित राजस्थान टीम को साधुवाद दिया।

इससे पूर्व राजस्थान डेल्फिक काउंसिल की अध्यक्ष श्रेया गुहा ने अब तक की यात्रा का जिक्र किया जबकि महासचिव जितेंद्र कुमार सोनी ने अपने-अपने विचार रखते हुए डेल्फिक मूवमेंट की दिशा पर विस्तृत चर्चा की। महासचिव रमेश प्रसन्ना ने विभिन्न प्लेटफार्म के माध्यम से युवाओं को मूवमेंट से जोड़ने पर जोर दिया। विधि सहायक रोबर्टा विलियम्स ने डेल्फिक मूवमेंटरू बिल्डिंग एट न्यू होम पर उद्बोधन दिया जबकि इंडियन डेल्फिक कौंसिल के अध्यक्ष एनएन पांडेय, महासचिव शांतनु अग्रहरी ने भी अपने विचार रखे।

डेल्फिक कौंसिल ऑफ राजस्थान की क्षिप्रा शर्मा ने अतिथियों का परिचय दिया जबकि कार्यकारी सदस्य फुरकान खान ने ओपन हाउस डिस्कशन का संचालन किया। गौरतलब है कि डेल्फिक कौंसिल ऑफ राजस्थान कला को प्रोत्साहित व संरक्षण करने में एक प्लेटफोर्म की तरह कार्य कर रहा है जिससे न केवल विलुप्त होती कलाओं को आधार मिलेगा बल्कि नई पीढ़ी के लिए कला आधार सेतु भी बनेगा।

ग्रामीण विकास सेवा के अधिकारी आमजन के सेवक बन काम करें : रमेश चंद मीणा

जयपुर, (का.सं.)। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश चन्द मीणा ने कहा है कि ईमानदारी से अपना कार्य करना सबसे बड़ी मानव सेवा हैं। उनका राजनीति में आने का उद्देश्य भी ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करना है। ग्रामीण सेवा के अधिकारी भी स्वयं को आम लोगों का सेवक समझ कर कार्य करें।

मीना राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा परिषद के शनिवार को इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में आयोजित प्रथम अधिवेशन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विभाग में भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यों में अनियमितता मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

- ‘विभाग में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं’

की जाएगी। अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। विभाग की योजनाओं को धरातल पर लाने की जिम्मेदारी आरडीएस सेवा की हैं। इसलिए ईमानदारी से विकास कार्य करने की जरूरत हैं। वे हमेशा अच्छा कार्य करने वालों के साथ खड़े रहेंगे।

मीना ने कहा कि राज्य सरकार ने 100 करोड़ का विशेष फण्ड उन लोगों के लिए बनाया है जो वर्तमान में किसी योजना के दायरे में नहीं आते। विकास अधिकारी इसका लाभ दिलाने के लिए लाभार्थियों को चिह्नित कर प्रस्ताव बनाएं।

उन्होंने कहा कि दूसरे विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों को प्रतिस्थापित करने पर विचार किया जा रहा है और पंचायतीराज का समस्त कार्य सेवा से ही करवाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। मीना ने कहा कि विभाग के काम धरातल पर नजर आने चाहिए। अधिकारी अंतिम छोर तक के गरीब व्यक्ति को योजनाओं का लाभ दिलाने का काम करें, तभी विभाग की योजनाओं का उद्देश्य पूर्ण हो सकेगा।

विशिष्ट अतिथि पंचायती राज विभाग के सचिव नवीन जैन ने कहा कि विकास अधिकारियों का प्राथमिक दायित्व ग्राम पंचायत से लेकर राज्य के विकास को उच्च स्तर पर ले जाना है। उन्होंने कहा कि सभी विकास अधिकारी पंचायतीराज नियमों से समय समय पर अपडेट होते रहें।

इससे पहले कार्यक्रम के प्रारंभ में परिषद अध्यक्ष ताराचंद मीना, उपाध्यक्ष रामचन्द्र सैनी, महासचिव ओंकारेश्वर शर्मा और कार्यकारिणी सदस्यों ने अतिथियों का स्वागत किया। परिषद ने कैडर में पदोन्नित का अवसर उपलब्ध कराने के लिए पंचायतीराज मंत्री का आभार भी जताया। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग तथा ग्रामीण विकास सेवा से संबंधित प्रेजेंटेशन भी दिया गया। इसमें ग्रामीण विकास सेवा अधिकारियों द्वारा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में किये उल्लेखनीय कार्यों के साथ ही भविष्य के लिए सुझावों को भी दर्शाया गया। परिषद ने पंचायतीराज मंत्री के समक्ष कुछ मांगें भी रखीं।

वरिष्ठ सहायकों को नोशनल परिलाभ देने के आदेश

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने वर्ष 1986 की एलडीसी भर्ती में चयनित होने के बाद सन् 2000 में नियुक्त याचिकाकर्ता वरिष्ठ सहायकों को वरिष्ठता, चयनित वेतनमान और वार्षिक वेतन वृद्धि को लेकर नोशनल परिलाभ अदा करने को कहा है। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश ओमप्रकाश राठी व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकार्ता वर्ष 1986 में आयोजित एलडीसी भर्ती परीक्षा में सफल हुए थे, लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई। वहीं वर्ष 1991 में याचिकाकर्ताओं से कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी गई। इसके बाद याचिकाकर्ताओं को सन् 2000 में नियुक्ति दी गई।

नगर निगम बताए क्या यूडी टैक्स निर्धारण की शक्तियां भी दी गई हैं ठेके पर?

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने नगर निगम से पूछा है कि यदि संपत्ति का मालिक खुद यूडी टैक्स की गणना कर जानकारी नहीं देता है तो इसकी गणना कौन और कैसे करता है। अदालत ने पूछा है कि यूडी टैक्स का निर्धारण करने की शक्ति भी क्या ठेके पर दी गई है। अदालत ने इस संबंध में विस्तृत शपथ पत्र पेश कर अदालत को इसकी जानकारी देने को कहा है। जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश प्रीतम सिंह व अन्य की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा ने अदालत को बताया कि शहर में नगरीय विकास कर वसूलने का काम निजी फर्म को दिया गया है। फर्म विधि अनुसार कर निर्धारण ना कर कम्प्यूटर के माध्यम से मनमाने तरीके से परिसरों का नापजोख कर डिमांड नोटिस बना देती है। याचिका में कहा गया कि नगरीय विकास कर स्वयं घोषणा करने वाला कर है, इसमें भवन स्वामी स्वयं कर निर्धारण करता है। वहीं जब कर अदायगी नहीं की जाती तो ठेका कंपनी डिमांड नोटिस जारी कर देती है। जबकि कर लगाने का काम निगम अधिनियम के तहत राजस्व अधिकारियों का है ना कि ठेकेदार का। याचिका में कहा गया कि निजी फर्म से किए गए एग्रीमेंट के तहत कर निर्धारण का काम भी फर्म को दिया गया है, जबकि यह काम किसी निजी फर्म से ना करवाकर स्वयं राज्य सरकार को ही करना होता है। इसके अलावा निगम के राजस्व अधिकारियों की ओर से एकत्रित किए जा रहे कर में से भी फर्म को दस फीसदी कमीशन के आधार पर भुगतान किया जा रहा है। जबकि इस कर को वसूलने के लिए फर्म कोई प्रयास नहीं करती है। जिसके चलते भ्रष्टाचार हो रहा है व राजस्व की हानि भुगतनी पड़ रही है। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने नगर निगम से इस संबंध में शपथ पत्र पेश कर जानकारी देने को कहा है।

शाह ने संविधान पार्क की पहल की सराहना की

जयपुर। राज्यपाल कलराज मिश्र से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार सायं को राजभवन में मुलाकात की। मिश्र ने इस दौरान गृह मंत्री शाह को राजभवन परिसर में बन रहे संविधान पार्क और संविधान जागरूकता के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी। शाह ने राजभवन में संविधान पार्क को देशभर में अभिनव पहल बताते हुए मिश्र द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की।

विश्व हिन्दू परिषद ने हेल्प लाइन नंबर जारी किये

जयपुर। विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू समाज की रक्षा के लिए हैल्प नंबर जारी किए हैं। उदयपुर में व अमरावती में हुई वीभत्स हत्याओं से यह विदित हुआ कि यदि पुलिस कन्हैया या उमेश को संरक्षण देती तो उनकी हत्या नहीं होती तथा इन हत्याओं से विहिप के नेतृत्व ने यह भी अनुभव किया कि यदि कोई संगठन उनके साथ खड़ा होता तो उन जिहादीयों की हिम्मत हत्या करने की नहीं होती या कम से कम पुलिस से तो उन्हें संरक्षण दिलवा पाते।

इन्ही सब बातों को दृष्टि मे रखते हुए तथा हिन्दू समाज को निर्भय करने के

- खतरे में या जिहादी ताकतों द्वारा पीड़ित हिन्दू बजरंग दल हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं

उद्देश्य से विहिप ने पूरे देश मे अन्य राज्यों के साथ राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ प्रांत (संभाग) के लिए बजरंग दल हेल्पलाइन नंबर जारी किये हैं।

जयपुर प्रान्त हेल्पलाइन के लिये प्रेम सिंह राजावत 7891857393, चित्तौड़गढ़ के लिये योगेश रेनवाल 9214510985, जोधपुर के लिये महेंद्र उपाध्याय 9414171278 के नम्बर जारी किये गये हैं।

विहिप राजस्थान क्षेत्र के संगठन मंत्री राजा राम ने बताया कि सभी प्रांत मे अधिवक्ताओं कि टीम बनाई गई है जिससे किसी पीड़ित द्वारा हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने पर पीड़ित को कानूनी सहायता भी दी जा सकेगी।

इन नंबरों पर कोई भी हिन्दू किसी भी खतरे मे होने या जिहादियों द्वारा पीड़ित होने पर निश्चिंत हो कॉल कर सकेगा।

कृषि उपज मंडी की जमीन कुर्क करने के आदेश पर रोक

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने भूमि अवाप्ति के मुआवजे के भुगतान के संबंध में निचली अदालत के गत चार अप्रैल के उस आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है, जिसके तहत अदालत ने सवाई माधोपुर कृषि उपज मंडी की भूमि कुर्क करने के आदेश दिए थे। इसके साथ ही अदालत ने निजी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस अशोक कुमार गौड की एकलपीठ ने यह आदेश कृषि उपज मंडी की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता यश जोशी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने कुछ लोगों की भूमि अवाप्ति की थी। मुआवजा राशि बढाने को लेकर प्रभावितों ने निचली अदालत में याचिका दायर की। जिस पर सुनवाई करते हुए वर्ष 2015 में अदालत ने मुआवजा राशि बढाकर भुगतान करने को कहा। इस आदेश की पालना कराने के लिए प्रभावितों ने निचली अदालत में प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसकी सुनवाई करते हुए निचली अदालत ने गत चार अप्रेल को आदेश दिए कि प्रार्थियों को मुआवजा राशि दी जाए, वरना कृषि उपज मंडी की जमीन को कुर्क किया जाएगा।

व्यर्थ की जनहित याचिका को खारिज कर लगाया हर्जाना

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने व्यर्थ की जनहित याचिका दायर करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर दो हजार रुपए का हर्जाना लगाया है।

जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश भगवान सिंह जाट की जनहित याचिका को खारिज करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा गया कि संबंधित जमीन पर पहले याचिकाकर्ता का कब्जा था और उसे बाद में वहां से हटाया गया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपने कब्जे हटाने को लेकर की गई कार्रवाई को चुनौती दी थी, लेकिन उसे राहत नहीं मिली। वहीं अब इस जमीन को किसी अन्य को आवंटित किया गया तो उसने जनहित याचिका पेश कर दी।

नम्बर मिलाइए
9587884433
सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

‘लोकल’ को ‘ग्लोबल’ के रूप में स्थापित करने के लिए मिल कर कार्य करें बड़े और छोटे उद्योग : राज्यपाल

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल कलराज मिश्र ने औद्योगीकरण में पिछड़े वर्गों के कल्याण को सभी स्तरों पर सुनिश्चित करने का आव्हान किया। उन्होंने कहा कि औद्योगीकरण के जरिए ही कोई देश तेजी से विकास कर सकता है, इसके लिए उद्यमियोंको देश के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करते हुए स्थानीय स्तर पर उत्कृष्ट उत्पाद तैयार करने होंगे। साथ ही उनका प्रभावी विपणन भी करना होगा।

राज्यपाल मिश्र शनिवार को यहां एक होटल में ग्लोबल इण्डिया बिजनेस फोरम की ओर से आयोजित नेशनल बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड फॉर 2022’ में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्गों को व्यावसायिक क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए देश में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसके अंतर्गत पिछड़े वर्ग के लोगों की मदद के लिए महत्वपूर्ण पहल करते हुए ‘वेंचर कैपिटल फंड’ बनाने के साथ ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ के तहत कर्ज की भी व्यवस्था की गयी है। राज्यपाल ने कहा कि देश में इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता कौशल विकास के जरिए उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की है। उन्होंने कहा उद्योग और शिक्षण संस्थानों के समन्वय से इस तरह के प्रशिक्षण उपलब्ध करवाए जाएं जिनसे अध्ययन के समय से ही युवा उद्यमिता के लिए प्रेरित हो सकें। इस उद्देश्य से नई शिक्षा नीति में भी व्यावसायिक कौशल विकास और युवाओं में उद्यमशीलता की भावना जगाने से संबंधित विशेष पाठ्यक्रमों पर जोर दिया गया है। उन्होंने

राज्यपाल कलराज मिश्र ने शनिवार को एक होटल में ग्लोबल इण्डिया बिजनेस फोरम की ओर से आयोजित नेशनल बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड फॉर 2022’ में संबोधित किया।

नवाचार आधारित स्टार्टअप शुरू करने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अधिकाधिक प्रयास किए जाने पर बल दिया।

राज्यपाल ने कहा कि कृषि के बाद में एमएसएमई ही सर्वाधिक लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। देश की जीडीपी में 30 प्रतिशत और विनिर्माण में 45 प्रतिशत हिस्सेदारी इसी क्षेत्र की है। मिश्र ने कहा कि केन्द्र सरकार में एमएसएमई विभाग का मंत्री रहते हुए उन्होंने एमएसएमई उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सहित कई अहम नीतिगत पहल की थी।

राज्यपाल ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र अब कोविड के दौर से आगे निकल कर पुन: गति पकड़ रहा है। ऐसे में बड़े उद्योग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को सहारा देकर ‘लोकल’ उत्पादों को ‘ग्लोबल’ के रूप में स्थापित करने में मदद करें। उन्होंने कहा कि ‘‘मेक इन इंडिया‘‘ के अंतर्गत हम ऐसे उत्पाद दुनिया के बाजारों को दें जो दूसरे देशों की अपेक्षा अधिक सस्ते, गुणवत्तापूर्ण और बेहतर हों।

राज्यपाल मिश्र ने औद्योगिक और व्यावसायिक विकास में पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ने का सुझाव दिया, ताकि ग्लोबल वार्मिंग की पारिस्थिति में संतुलन पर प्रतिकूल असर नहीं पड़े।

सांसद रामचरण बोहरा ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए इसे सभी स्तरों पर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उन्होंने एक भारत, श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए उद्यमियों से संकल्पित होकर कार्य करने का आव्हान किया।

ग्लोबल इण्डिया बिजनेस फोरम के अध्यक्ष डॉ. जितेन्द्र जोशी ने कहा कि देश की करीब 65 प्रतिशत आबादी युवा है। इन्हें रोजगार उपलब्ध कराने में

- ग्लोबल इण्डिया बिजनेस फोरम की ओर से ‘नेशनल बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड फॉर 2022’ आयोजित
- औद्योगीकरण में पिछड़े वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करने का राज्यपाल ने किया आव्हान

एमएसएमई क्षेत्र की बड़ी भूमिका है।

इस अवसर पर राज्यपाल मिश्र ने व्यापार उत्कृष्टता के लिए बेहतरीन कार्य करने वाले व्यवसाय जगत से जुड़े लोगों को सम्मानित करते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी।

कार्यक्रम में जापान के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की स्मृति में दो मिनट मौन रख कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। आरम्भ में राज्यपाल मिश्र ने भारतीय संविधान की उद्देश्यिका और मूल कर्तव्यों का वाचन भी किया।

कार्यक्रम में त्रिनिदाद और टोबेगो के उच्चायुक्त डॉ. रोजर गोपाल, नाइजीरिया के उच्चायुक्त अहमदसुल, मलेशिया के उप उच्चायुक्त अमीजल फेडजलीराजली, पुरस्कृत उद्यमी उपस्थित रहे।

आम सूचना मैं रमेश रीझूमल आडवानी पुत्र स्व. श्री रीझूमल गुलाबराय आडवानी उम्र 45 वर्ष जाति सिंधी निवासी 23, सिवार एरिया, आमेर रोड, जयपुर-302002 राज., का निवासी हूँ यह कि मेरे पिताजी एक वाहन सं. आरजे-14-सीयू-8819 मारूति ऑल्टो 800, कार के पंजीकृत स्वामी थे। यह कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास 20.12.20 एवं मेरी माताजी का स्वर्गवास 02.02.2001 को हो चुका है। यह कि मेरे पिताजी एवं माताजी के स्वर्गवास के पश्चात उक्त वाहन को मैं अपने स्वयं के नाम से परिवहन कार्यालय, जयपुर में हस्तान्तरित करवाना चाहता हूँ। इस हेतु परिवहन कार्यालय में वाहन हस्तान्तरण हेतु समस्त मूल दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गए हे। जिस किसी व्यक्ति को इस संबंध में आपत्ति है तो 07 दिवस में आकर संपर्क करें।
राहुल भारद्वाज, एडवोकेट, मो. 9829150294

विवाधकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
नाम न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश (क.स.) स्थान (क्रम-2) जयपुर महानगर प्रथम भगवान सहाय शर्मा विरूद्ध कृष्ण मंदिर सोसायटी व अन्य
(1) (राधा-गोविन्द मंदिर) बरकत नगर, टोंक फाटक, जयपुर जरिये अध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार सैनी (2) कृष्ण मन्दिर सोसायटी जरिये कोषाध्यक्ष सत्यनारायण सैनी (3) सुरेन्द्र कुमार सैनी अध्यक्ष कृष्ण मंदिर सोसायटी व अन्य
वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा
वाद सं. 35 सन् 21
नाम वादी आपके विरूद्ध के लिए वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 08 माह 08 सन् 22 को दिन में 10:30 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सकें या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है, और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या न हो, अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वादकी सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह आज दिनांक 02 माह 07 सन् 2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया।
न्यायालय के आदेश से प्रस्तुतकार
मोहर
अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम-2, जयपुर महानगर प्रथम

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-5343 दिनांक-8.7.2022
जाहिर आम सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर सांगानेर योजना में आवास संख्या 161/27 (MIG-A), (एरिया 90.00 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्रीमती शान्ति टोडवाल पत्नी स्व. श्री रतन लाल टोडवाल को किया जाकर आवंटन पत्र 2606 दिनांक 31.12.2002 को जारी किया गया। श्रीमती शान्ति टोडवाल के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 24.02.2009 को उप पंजीयक सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्रीमती शान्ति टोडवाल की मृत्यु दिनांक 27.11.2021 को हो जाने के कारण पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर इनके पुत्र श्री राजेश टोडवाल पुत्र स्व. श्री रतन लाल टोडवाल द्वारा उक्त आवास को अपने स्वयं के नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास का हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है श्री राजेश टोडवाल पुत्र स्व. श्री रतन लाल टोडवाल का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल
वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर

आम-सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्यागण श्रीमती राजश्री पत्नी श्री कैलाश चन्द, श्रीमती चन्द्रकान्ता बुनकर पत्नी श्री सीताराम बुनकर एवम् श्रीमती सुलक्षणा वर्मा पत्नी श्री विश्वनाथ वर्मा समस्त निवासीगण जयपुर (राज.) मकान नं. 147, प्रेमनगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर की जरिये रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 04.09.2020 सयुंक्त रूप से एकमात्र मालिक व स्वामी है। उक्त मकान नं. 147, प्रेमनगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर की एक मात्र मालकिन स्व. श्रीमती गीता देवी पत्नी स्व. श्री गोपीराम बुनकर की मृत्यु दिनांक 11.02.2022 को हो गयी थी जिन्होंने अपने जीवनकाल में उक्त रजिस्टर्ड वसीयत मेरी अभिभाष्यागण के हक में निष्पादित की थी। मेरी अभिभाष्यागण के भाई श्री विजय वर्मा का उक्त सम्पत्ति से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः कोई भी उक्त सम्पत्ति बाबत् श्री विजय वर्मा पुत्र श्री गोपीराम बुनकर अथवा किसी भी अन्य व्यक्ति/संस्था आदि से किसी प्रकार सव्यंवहार, खरीद, रहन आदि करेगा तो उसका वह स्वयं जिम्मेदार होगा, मेरी अभिभाष्यागण के स्वामित्व के अधिकारों पर निष्प्रभावी होगा।
भवदीय (सुभाष किशोर शर्मा) एडवोकेट
मो. नं. 9414049394

नाम परिवर्तन
मैंने अपना नाम माधवन पुत्र श्री जयप्रकाश निवासी सरदारपुरा बास (गांधी बड़ी) तहसील भादरा जिला हनुमानगढ वर्तमान पता ए-201, यूडीबी, इकोस्केप पत्रकार कॉलोनी, जयपुर से बदलकर भविष्य में सभी कार्य हेतु माधवन बैनीवाल रख लिया है।

मैं निखिल बोहरा पुत्र संजय कुमार बोहरा, पता-51/462 सेक्टर-5, प्रताप प्लाजा के पीछे, प्रतापनगर, सांगानेर, जयपुर राजस्थान-302033 मैंने अपना नाम निखिल कुमार बोहरा से बदलकर निखिल बोहरा रख लिया है। भविष्य में मुझे निखिल बोहरा नाम से जाना जावें।

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक-4 न्यायालय अपर सिविल न्यायधीश (क.ख.) क्रम-2 जयपुर महानगर (प्रथम) भगवान सहाय शर्मा विरूद्ध (1) कृष्ण मन्दिर सोसायटी (राधा- गोविन्द मंदिर) बरकत नगर, टोंक फाटक, जयपुर जरिये अध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार सैनी (2) कृष्णा मन्दिर सोसायटी जरिये कोषाध्यक्ष सत्यनारायण सैनी (3) सुरेन्द कुमार सैनी अध्यक्ष कृष्णा मंदिर सोसायटी व अन्य
वाद/प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
प्रार्थना-पत्र संख्या 44/21 सन्
नाम प्रार्थी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि नोट: नकल संलग्न है।
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दि. 08 माह 08 सन् 2022 को 10:30 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगें तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एकपक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह आज ता. 02 माह 07 सन् 2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई है।
न्यायालय के आदेश से प्रस्तुतकार
मोहर
अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम-2, जयपुर महानगर प्रथम